न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रकरण संख्या 34 /2017

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये — श्री भगा पुत्र जयमाल कौम कुंभार साकिन खारड़ा

दिनांक 28.8.17

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राज्स्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. पटवारी हलका भाखरपुरा

2. अप्रार्थी श्री भगा

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार हैं । पटवारी हलका भाखरपुरा ने न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ ने सरहद मौजा खारड़ा .... सरकारी भूमि ख.नं. 491/23 कुल रकबा ....123.......... किस्म गै. मु. गोचर मेंसे ...... 3.03 बीघा भूमि पर .... बाड़ बनाकर .... अनाधिकृत कब्जा किया हैं , अतः इन्हें बेदखल किया जावे । अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी /अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर आया , जिसे शामिल पत्रावली किया गया । सर्कल परिवर्तन होने से पत्रावली न्यायालय नायब तहसीलदार गुडामालानी से स्थान्तरित होकर इस न्यायालय के प्राप्त हुई हैं ।

नियत तारीख पेशी दिनांक ....28.8.17.... को प्रार्थी पटवारी हलका तथा अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ श्री ....भगा............ उपस्थित , अप्रार्थी /अप्रार्थीगण ने जबाब पेश नहीं किया तथा जबाब पेश नहीं करना चाहता, उक्त भूमि पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया , अतः अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ की शहादत बन्द की जाती हैं । ~~शेष अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित है अत एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है~~

प्रार्थी पटवारी हलका ने अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ को बेदखल करने तथा दंडित करने का निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaushilya
Date: 2024.08.23 12:09:19 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अध्ययन तथा अवलोकन किया । उक्त भूमि पर अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ के अतिक्रमण की पुष्टि होती हैं अतः अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाता हैं

तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी /~~अप्रार्थीगण~~ को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं । यदि मौके पर फसल खडी हो तो नष्ट कर दी जावे। लगान ......4.54...... रूपये का बीस गुणा ......91...... अक्षरे रूपये ....इक्यानवे...... शास्ति जुर्माना आरोपित की जाती हैं , जो वसूल हो । जुर्माना मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तथा जुर्माना वसूली तथा बेदखली हेतु पटवारी हलका सूचित हो ।

निर्णय दिनाक ......28.8.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया , पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । बाद तामिल दफतर दाखिल हो ।

(जोधसिंह)

तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaushlya
Date: 2024.08.23 12:09:19 IST
Reason: SelfAttested